राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः–"ग्रामीण सेवा शिविर" 18 सितम्बर, 2025 से आयोजित किये जाने बाबत।

संदर्भः–माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के क्रम में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–5) विभाग क्रमांक प०19(7)राज–5/सम/2025 दिनांक 03.09.2025 एवं विभागीय राजकाज पत्रांक 17584150 दिनांक 04.09.2025 के कम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि "ग्रामीण सेवा शिविर" 18 सितम्बर, 2025 से आयोजन किया जाना है। "ग्रामीण सेवा शिविर" के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हो जावें।

गौरतलब है कि शिविर स्थल पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जावें तथा आगन्तुकों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे। शिविर में मेज, कुर्सियों, दरियों, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि शिविर आयोजन एवं संचालन हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज सस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग हेतु विभागीय पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं (अ)(3)(XIII) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को स्वीकृत अनुदान राशि में से अधिकतम राशि रु. 25000/– प्रति ग्राम पंचायत व्यय/उपयोग करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332501444 दिनांक 16.09.2025 द्वारा अनुमोदित है।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–6/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
6. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।

RajKaj Ref No.:
17829979
eSign DSC

7. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,जल संसाधन विभाग।
8. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पराविं ।
10. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
11. निजी सहायक, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा योजना।
12. निजी सहायक, आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
13. निजी सहायक, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
14. अधीक्षण अभियंता , पंचायती राज विभाग।

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date :17-09-2025 12:27:20

RajKaj Ref No.: 17829979

eSign DSC